



## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

50  
पंजीकृत

डॉ. डॉ. ए. शापिंग—कम—आफिस कम्पनीज़, राजेन्द्रा एस्टेस, नई दिल्ली - 110008

सं. 11-43597-101/2-5/99

रजिस्टर्ड

दिनांक 26 MAY 1999

सेवा में

मैसर्स GLOBE MANAGEMENT SERVICES  
WZ-83/2, MOHAN NAGAR, PANKHA  
RCAD, NEW DELHI-46.

विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (यथासंशोधित) की धारा 2(12)(1) (5) के अंतर्गत कर्मचारियों तथा फैक्टरियों/स्थापनाओं का पंजीकरण।

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा इसका अधिकार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (क्षेत्र) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन शामिल सभी फैक्टरियों गर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया गया है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त सरकार ने अधिनियम के उपबंधों का विस्तार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन अन्य स्थापनाओं पर नीचे उल्लिखित तारीख से किया गया है।

स्थापनाओं का विवरण

अधिसूचना संख्या

तथा तारीख

क्र० रा० शीमा

(एसिक) योजना के विस्तार की तारीख

1. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई परिसर (उसके उप-क्षेत्रों सहित) में जहाँ दस अथवा इससे अधिक लैकिन किसी भी दशा में 20 से कम व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे तथा उसके किसी भी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारणतया विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है।  
एक-27(2)/75-लैब 29-3-75
2. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई व्यक्ति परिसर में नियोजित है अथवा नियोजित था तथा उसके किसी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारणतया विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है।  
— वही — — वही —
3. निम्नलिखित स्थापनाएं जहाँ पिछले 12 महीनों के दौरान किसी तारीख को 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे जैसे :—  
1. होटल 2. रेस्तरां  
3. पूर्व दर्शन थियेटर सहित सिनेमा  
4. सड़क मोटर परिवहन  
5. समाचार पत्र परिवहन  
6. दुकानें  
एक-27(2)/74-लैब 28-3-76  
दिनांक 26-3-76
- एक-28(20)/88/आई.एम.पी.लैब 2-10-88  
दिनांक 30-9-88

अधिनियम की धारा 2 (क) के अधीन ऐसी किसी फैक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराना आवश्यक है जहाँ उसके अध्याय 4 के अनुसार मुख्य नियोजक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को योजना में शामिल कराए तथा अधिनियम के अधीन उनके संबंध में अंशदान की अदायगी करें।

21

आपके द्वारा आपकी फैक्टरी/स्थापना के संबंध में दिए गए व्यारों सहित दिनांक 06-05-99 को वीमा निरीक्षण/स्थानीय कार्यालय प्रबंधक द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर आपकी फैक्टरी स्थापना तारीख 01-04-99 से अधिक/अनन्ति रूप से अधिनियम की धारा 2429 व 1 (5) के क्षेत्र में आती है लेकिन यदि याद के तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी फैक्टरी/स्थापना उपरिलिखित तारीख से पहले की किसी तारीख से उपर्युक्त वर्णित तारीख से शामिल की जानी थी तो आप ऐसी पहले की तारीख के अधिनियम के उपर्योग का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

आपसे अनुरोध है कि अपनी फैवटरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन शामिल किये जाने की तरीख से आपने कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने, घोषण पत्र भरने तथा अंशदान का भगतान करने रिकार्ड के अनुरक्षण आदि के सबूत में शीघ्र कारवाई करें। सुविधा की दृष्टि से आपकी स्थापना को कोड संख्या 11-43597-101/...-5/अधिकारी अधिवेत की गयी है। इस कार्यालय को भेजे गए सभी पत्रादि में तथा फार्म में निर्दिष्ट स्थानों पर इस कोड संख्या का प्रयोग करें।

MAYA PURI ..... पर रित्थ स्थानीय कार्यालय को आपके कर्मचारियों के पंजीकरण के संबंध में आपको आवश्यक सहायता देने के अनुदेश दिये गए हैं। यदि कोई कठिनाई हो तो आप कृपया उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय के प्रबंधक से सम्पर्क करें जो मामले में आपकी अपेक्षित सहायता करेगा। निवेदन है कि आप अपनी फैक्टरी/स्थापना में राज्य बीमा औषधालयों की संलग्न सूची का प्रचार करें ताकि आपके कर्मचारी अपने राज्य बीमा औषधालयों का चुनाव कर सकें। सभी अपेक्षित फार्म आदि उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय से प्राप्त करें, उक्त कार्यालय के साथ आपके सभी कर्मचारी संबंध किए जाएंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा अंशदात्र स्वीकार करने वाली बैंक की शाखाओं की सूची संलग्न है। आप कृपया अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक बैंक का चुनाव करके और उसकी सूचना इस कार्यालय तथा भारतीय रेटट बैंक की संबंधित शाखा को भेज दें। आप केवल इसी शाखा में कर्मचारी राज्य बीमा राशि का भुगतान करें। यदि पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो आपके द्वारा जिस शाखा में राशि जमा कराई जाएगी उसी शाखा को आपकी फैक्टरी स्थापना की नामजद शाखा मान लिया जाएगा।

निगम कर्मचारी आपके कार्य को निपटाने में तथा कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम 1948 की बाध्यताओं का पालन करने में आपकी सभी आवश्यक हर सम्भव सहायता करेंगे तथा मुझे विश्वास है कि आप अपनी ओर से कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम के उपबंधों तथा विनियोगों का तत्परता से और समय पर पलन करेंगे। आपसे यह भी अनुरोध है कि सभी प्रकार से संलग्न फार्म 01 विधिवत भरकर इस कार्यालय को तत्काल भेजने की कृपा करें।

In case of any difficulty please contact Local Office,  
ESI Corporation, D.D.A. Shopping Centre-2, 1st Floor, Maya Puri,  
Phase-I, New Delhi-64, for guidance.

भवदीय